संख्या-318/2015/4984/नौ-5-15-157बजट/15

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक/निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 07 अक्टूबर, 2015

विषयः- "स्वच्छ भारत मिशन" के अन्तर्गत विभिन्न कार्यो हेतु अवमुक्त केन्द्रांश की वित्तीय वर्ष 2015-16 में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-10/एसबीएम, दिनांक 07 अगस्त, 2015 तथा निदेशक (एसबीएम), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-क्यू-16019/6/यूपी/2015-सीपीएचईईओ, दिनांक 30 मार्च, 2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यो हेतु उत्तर प्रदेश के लिए अवमुक्त केन्द्रांश की कुल धनराशि **रू0 86.07 करोड़ (रू0 छियासी करोड़ सात लाख मात्र)** को वित्तीय वर्ष 2015-16 में निम्नांकित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि करोड़ रूपए में)

क्र0	प्रस्तावित कार्य	अवमुक्त केन्द्रांश	अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4
1	नए घरेलू स्वच्छ शौचालयों का निर्माण कार्य	28.19	140950 शौचालय
2	घरेलू पिट-युक्त शौचालयों एवं घरेलू अस्वच्छ (बहाव/उठाऊ/सर्विस) शौचालयों में परिवर्तन का निर्माण कार्य		
3	सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कार्य	9.09	6992सीट
4	सालिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना	37.56	5186887 व्यक्ति
5	कैपेसिटी बिल्डिंग कार्य, प्रशासनिक व कार्यालय व्यय	2.24	कैपेसिटी बिल्डिंग कार्य, प्रशासनिक व कार्यालय व्यय
6	पब्लिक अवेयरनेस व आईसीसी कार्य	8.99	जन जागरूकता एवं जन सहभागिता/आईईसी सम्बन्धित कार्य
	योग	86.07	

(रू0 छियासी करोड़ सात लाख मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी के खाते में रखी जायेगी।

(2) स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत यथानिर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।

(3) स्वच्छ शौचालय के निर्माण (नए घरेलू स्वच्छ शौचालयों का निर्माण कार्य घरेलू पिट-युक्त शौचालयों एवं घरेलू अस्वच्छ (बहाव/उठाऊ/सर्विस) शौचालयों में परिवर्तन का निर्माण कार्य) हेतु लाभार्थी द्वारा 25 प्रतिशत भौतिक प्रगति करने पर ही केन्द्रांश/राज्यांश की धनराशि लाभार्थी के खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।

(4) अवमुक्त धनराशि का उपभोग भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोई अंश बैंक/पोस्ट आफिस/पीएलए में नहीं रखा जायेगा, इसका रख-रखाव भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत ***लेखाशीर्षक "2215-जलपूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-107-मल-जल सेवाएं-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता (के.25/रा.25-के.+रा.)-35-पूंजीगत परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु अनुदान"*** के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-8-2671/दस-15, दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-318/2015/4984(1)/नौ-5-15-157बजट/15 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(वर्क्स लेखा अनुभाग) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
4- निदेशक (एसबीएम), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।